भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3619
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लखपति दीदी

3619. श्री बलभद्र माझी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम किस प्रकार सफल रहे हैं;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान लखपति दीदी कार्यक्रम को किस प्रकार विकसित किया गया है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी जनजातीय महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) योजना जून, 2011 में शुरू की गई जिसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक लगातार पोषित करना और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार न हो जाए और वे अत्यंत गरीबी से बाहर न निकाल जाए।

यह मिशन 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों के 7138 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं को अपनी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन

क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाने हेतु स्थायी संसाधन बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। इनमें प्रति स्वयं सहायता समूह 20,000 से 30,000 रुपये तक की परिक्रामी निधि तथा प्रति स्वयं सहायता समूह 2.50 लाख रुपये तक की सामुदायिक निवेश निधि शामिल है। प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) की कुल राशि 48,290 करोड़ रुपये है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम बैंकों से ऋण पर स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में छूट देता है। नवंबर 2024 तक कुल संवितरित बैंक ऋण 9.71 लाख करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, सरकार ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), महिला उद्यम त्वरण कोष (डब्ल्यूईएएफ) के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और महिला उद्यमियों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। डीएवाई-एनआरएलएम ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं, जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना, परम्परागत कृषि विकास परियोजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम फार्मलाइजेशन (पीएमएफएमई) के साथ अभिसरण किया है।

लखपति दीदी पहल डीएवाई-एनआरएलएम का एक परिणाम है। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह सदस्य है, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) है और औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) है, जो कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यवसाय चक्रों के लिए बनी है। अब तक 1.15 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य लखपति दीदी बन चुकी हैं।

(ग) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत अब तक देश में 11.11 लाख अनुसूचित जनजाति स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं।